154

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1822–03/2014 पुनरीक्षण

15/9/15

1. ब्रम्हानन्द पुत्र श्री रामस्वरूप ब्राम्हण

2. लक्ष्मनलाल पुत्र श्री रामस्वरूप ब्राह्मण

निवासीगण ग्राम करीयाकलां तहसील पोहरी

जिला–शिवपुरी

विरूद्ध

1. कैलाश नारायण पुत्र कालु

2. सुशीला पत्नी कैलाश नारायण

निवासीगण ग्राम करीयाकलां तहसील पोहरी

जिला–शिवपुरी

3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला–शिवपुरी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.

महोदय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, आवेदकगण ने इस न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बैराड जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक–5/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–03–2014 के विरूद्ध दिनांक 19–06–2014 को पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 28–06–2014 को आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन अवधिबाधित होना मानकर निरस्त कर दिया था.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1822/तीन/2014 जिला शिवपुरी

ब्रम्हानन्द आदि विरूध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बरौड़ जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 5/2013-14/अ-**6**अ में पारित आदेश दिनांक 19/3/2014, 19/6/2014 एवं 28/06/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	